

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(प्लाट नं. 35-ए अरेरा हिल्स, पंजीयन भवन भोपाल-462011)

क्रमांक/63/तकनीकी/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/2/2020

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश

विषय :- पंजीयन अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत पंजीयन किए जाने के संबंध में।

—0—

जैसा कि आपको विदित है कि पंजीयन अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत जिले के अन्य उपजिलों में स्थित संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन करने हेतु पंजीयक अधिकृत हैं, जिसकी शक्तियां मुख्यालय उप पंजीयक को प्रत्यायोजित हैं। पंजीयन मैनुअल की कण्डिका 10 व 12 में किए गए प्रावधान अनुसार मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम पंजीयन अधिकारी को मुख्यालय उप पंजीयक का प्रभार दिया जाना उपयुक्त है।

जिले में उप पंजीयकों के मध्य कार्यविभाजन का दायित्व संबंधित वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक का है। बहुधा यह देखा गया है कि जिन जिलों में मुख्यालय पर एक से अधिक पंजीयन अधिकारी कार्यरत हैं वहां मुख्यालय उप पंजीयक की शक्तियां प्रयोग में लाने के लिए जिला पंजीयक के विशिष्ट आदेश के अभाव में मुख्यालय में पदस्थ सभी उप पंजीयकों द्वारा जिले की अन्य तहसीलों से संबंधित संपत्ति के विलेखों के पंजीयन किए जाते हैं जिनसे विसंगतिपूर्ण स्थितियां निर्मित होती हैं। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर जिला पंजीयक से प्रत्येक प्रकरण में अनुमति प्राप्त कर धारा 30(1) के अंतर्गत पंजीयन किए जा रहे हैं, जो युक्तिसंगत नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय में स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में पदस्थ पंजीयन अधिकारियों में से वरिष्ठतम पंजीयन अधिकारी को मुख्यालय उप पंजीयक का प्रभार दिया जाकर यह सुनिश्चित करें कि अन्य उप पंजीयकों द्वारा मनमाने ढंग से धारा 30(1) के अंतर्गत पंजीयन न किया जाए।

पृष्ठांकन क्रमांक 63/तकनीकी/2020

प्रतिलिपि :-

1. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना अधिकारी, सम्पदा एवं जिला पंजीयक भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28/2/2020

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश